

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र / 2019 / 107)

दिनांक:- २७/२/१९

आदेश

आवासीय अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त-कोटा के अधीन स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा में अनिस्तारित आवासीय भूखण्ड का निस्तारण नीलामी के माध्यम से किये जाने के संबंध में बोर्ड बैठक 229.21 दिनांक 27.10.2016 की पालना एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तृतीय द्वारा की गई अनुशंशा के आधार पर निर्देशानुसार स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा में आवासीय भूखण्ड संख्या 11/ 199 के नीलामी के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद प्रदान की जाती है,

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता उक्त आवासीय भूखण्ड का निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जाना सुनिश्चित करें:

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लैट/आवंटिट करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजार्इ प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावें।
3. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत् किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत् कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।
उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त का पैरा संख्या 18/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचार्थ-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0) प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता -तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा० आ०म० वृत्त-कोटा।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-कोटा, रा० आ०म० कोटा।
8. सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

dry
मुख्य सम्पदा प्रबंधक